न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 13 / 2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025 / 15

राजस्थान राज्य जरिये श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री मनोज दोसी पुत्र श्री महेश दोसी जाति जैन निवासी डाक घर के सामने बांसवाडा, (विक्रेता) मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा मो.नं. 9414102529
2. श्रीमती हर्षिता दोसी पत्नी मनोज दोसी (फर्म मालिक) निवासी डाक घर के सामने बांसवाडा, (विक्रेता) मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी. ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा मो.नं. 9414102529
3. **Deepak Bhagwati Prasad Sharma (Nominee) M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad-380015 mob no-7940209000**
4. **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad-380015 mob no- 7940209000**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28–04–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **08–05–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया कि दिनांक **09–05–2024** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मनोज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दोसी पुत्र श्री महेश दोसी उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor) 12 पैकेट प्रत्येक 700 एम.एल के रखे थे।** उक्त खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** को एफएसएसए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक हुआ। शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor) के 4 पैकेट प्रत्येक में 700 एम.एल** के वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 460/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor) के 4 पैकेट प्रत्येक में 700 एम.एल के चार पैकेट खोलकर पिघलाकर 4 प्लास्टिक की बोतलो में प्रत्येक पैकेट को डालकर प्रिजर्वेटिव फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर एयर टाईड ढक्कन बन्द कर 4 नमूना भाग तैयार किये। प्रत्येक नमूना भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1820** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/248 दिनांक 30–05 [illegible] व खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच [illegible]–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1820** Substanderd food under section 3(1)(zx) of

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है।

मैसर्स **मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं यदि आपने खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है जिस पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad** से खरीद होने का बिल प्रस्तुत किया। **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं यदि आपने उक्त खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)**किसी अन्य फर्म से खरीदा है बाबत् बार बार पत्र लिखने पर आज दिनांक तक कोई सूचना प्राप्त नही हुई।

विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 08–05–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। दिनांक 11.08.2025 को अप्रार्थी सं. 3, 4 की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह झुला अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 25.11.2025 को अप्रार्थी सं. 2 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किया गया, जो डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं. 2 के पते पर दिनांक 28.11.2025 को पहुंच चुका है। दिनांक 15.12.2025 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत् आदेश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 25.11.2025 को अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मेसर्स लोटे इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स हैवमोर आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

जाता था, और बाद में मेसर्स लोटे इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में में विलय हो चुकी है) (आगे प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में उल्लिखित) अन्य कार्यों के साथ–साथ पूरे भारत में अपने ग्राहकों को आइसक्रीम के निर्माण एवं विक्रय के व्यवसाय में संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 4, पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1913 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, कॉमर्स हाउस 4,शेल पेट्रोल पंप के पास, प्रह्लादनगर आनंदनगर रोड, अहमदाबाद–380015 में स्थित है तथा यह कंपनी सभी लागू कानूनों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है, तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे इसके बाद ""एफएसएस अधिनियम" कहा गया है) के तहत विधिवत लाइसेंस प्राप्त खाद्य व्यवसाय संचालक है। यह भी निवेदन है कि श्री मनोज दोसी (प्रतिवादी संख्या 1) एक खुदरा विक्रेता हैं और दोसी मार्केटिंग कंपनी नाम से अपने ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं सहित हैवमोर बटरस्कॉच आइसक्रीम के विक्रय के व्यवसाय में संलग्न हैं। जबकि सुश्री हर्षिता दोसी (प्रतिवादी संख्या 2) उक्त प्रतिष्ठान की स्वामिनी / मालकिन हैं तथा श्री दीपक भगवती (प्रतिवादी संख्या 3) प्रतिवादी संख्या 4 के नामित प्रतिनिधि हैं (आगे सामूहिक रूप से प्रतिवादीगण)।प्रतिवादियों की ओर से वर्तमान उत्तर दाखिल करने हेतु श्री करण शाह को अधिकृत करने वाला बोर्ड प्रस्ताव की प्रति संलग्न है, जिसे अनुलग्नक–1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

लोटे उद्योग में खाद्य सुरक्षा उत्पादन के उच्चतम मानकों में से एक का पालन करती है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कंपनी सभी निर्धारित मानकों का पालन करती है तथा निर्माण प्रक्रिया का प्रत्येक चरण कठोर निरीक्षण एवं परीक्षण के अधीन रहता है। इसके अतिरिक्त कंपनी का प्रत्येक उत्पाद कठोर गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण से गुजरता है। जब तक उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे निर्माण संयंत्र के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा बिक्री हेतु स्वीकृति नहीं दी जाती। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा कराए गए आंतरिक परीक्षण एवं बाहरी रिपोर्ट में भी यह पुष्टि हुई है कि विवादित उत्पाद एफएसएस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित सभी मानकों के अनुरूप है।

वर्तमान शिकायत नमूना लेने एवं विश्लेषण की प्रक्रिया में मौलिक प्रक्रियात्मक त्रुटि पर आधारित है, जिसके कारण खाद्य विश्लेषक (Food Analyst) की रिपोर्ट अविश्वसनीय एवं विधिक रूप से ग्राहय नहीं है। विवादित उत्पाद सादा आइसक्रीम नहीं बल्कि बटरस्कॉच आइसक्रीम है, जो एक मिश्रित खाद्य उत्पाद (Composite Food Product) है। लेबल पर घोषित अवयवों के अनुसार इसमें चिक्की Chikki (9.6%) सम्मिलित है, जिसका मुख्य घटक काजू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

(Cashew Nut) है। यह अभिलेख का विषय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विवादित उत्पाद के पैकेटों को पिघलाकर एक मिश्रित द्रव बनाया और उसके बाद विभाजन किया। परंतु न तो जब्ती मेमो (Seizure Memo) और न ही विश्लेषण रिपोर्ट (Analysis Report) में यह उल्लेख है कि पिघले हुए आइसक्रीम से ठोस "Chikki" (काजू) को अलग करने अथवा छानने की प्रक्रिया अपनाई गई।

चिक्की में उपस्थित काजू से प्राप्त वनस्पति तेल का अपवर्तनांक (Refractive IndeÛ) प्राकृतिक रूप से दूध की वसा से अधिक होता है। यद्यपि FSSAI Regulations में काजू तेल के लिए अलग मानक निर्दिष्ट नहीं है, किंतु मूंगफली के तेल (Groundnut Oil) के लिए B-R- Range 54.0 से 57.1 निर्धारित है, जो रासायनिक रूप से काजू तेल के समान है।

11. उत्पाद को पिघलाकर और ठोस काजू कणों को अलग किए बिना नमूना तैयार करने से काजू के प्राकृतिक वनस्पति तेल दूध की वसा के साथ मिश्रित हो गए। फलस्वरूप Food Analyst द्वारा निकाला गया वसा वास्तव में शुद्ध दूध की वसा न होकर दूध की वसा एवं काजू तेल का मिश्रण था। अतः 46.3 का B-R- Reading वास्तव में दूध की वसा और काजू तेल का संयुक्त औसत है। यह परिणाम किसी सस्ते मिलावटकारी पदार्थ की उपस्थिति नहीं बल्कि घोषित प्रीमियम अवयव काजू की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि नमूने से चिक्की काजू को अलग कर परीक्षण किया जाता, तो B-R- Reading दूध वसा की निर्धारित सीमा के भीतर ही होती।

इस प्रकार Food Analyst की रिपोर्ट यह सिद्ध करने में असफल है कि उत्पाद FSS Act की धारा 3(1)(ZX) के अनुसार अवमानक (Sub-standard) है। रिपोर्ट B.R. रीडिंग में एक तकनीकी विचलन (deviation) का हवाला देती है, लेकिन यह विचलन एक घोषित सामग्री की उपस्थिति के कारण हुआ है।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने विवादित उत्पाद के लेबल पर भंडारण की शर्तें स्पष्ट रूप से अंकित की हैं। उत्पाद को -18°C या उससे कम तापमान पर ही संग्रहित किया जाना अनिवार्य है। यदि इस तापमान [illegible] नहीं किया जाता तो आइसक्रीम की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ [illegible] द्वारा भी यह माना गया है कि आइसक्रीम एक जल्दी खराब होने वाली (perishable) वस्तु है और इसका उचित परीक्षण करने के लिए, इसकी वास्तविक क्षमता का पता लगाने हेतु इसे कम समय के भीतर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

परीक्षण किया जाना चाहिए। (Ice Cream is a perishable item and in order to have it tested properly] it deserves to be tested within short time for ascertaining its real strength).

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 क्रमशः खुदरा विक्रेता एवं प्रतिष्ठान की स्वामिनी हैं, न कि उत्पाद के निर्माता या पैकर। विवादित उत्पाद निर्माता से सीलबंद अवस्था में खरीदा गया तथा उसी अवस्था में विक्रय किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को FSS Act की धारा 80(B)(2)(d) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 एफएसएस अधिनियम की धारा 80(B)(2)(d) के तहत सुरक्षित हैं और निर्माता द्वारा किसी भी कथित उल्लंघन के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि उत्पाद को आवश्यक शर्तों के अनुसार संग्रहीत किया गया हो।

(धारा का अनुवाद) खाद्य विक्रय से संबंधित अपराध की स्थिति में--

(i) व्यक्ति ने वही खाद्य वस्तु उसी स्थिति में बेची जिस स्थिति में उसने खरीदी थी, अथवा

(ii) व्यक्ति ने अलग स्थिति में बेची, परंतु उससे अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ। अतः उक्त प्रावधान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, उपर्युक्त प्रावधान के मात्र अवलोकन से, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को तत्काल शिकायत में कथित उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि वे निर्माता के निर्देशों का पालन करते हुए विवादित उत्पाद को संग्रहित करते हैं और उससे व्यवहार करते हैं।

माननीय न्यायालय के समक्ष आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि FSO बांसवाड़ा ने विवादित उत्पादों के 700 मिलीलीटर के चार पैकेट एकत्र किए, अर्थात कुल 2800 ml (चार पैकेट X 700 ml) नमूना लिया। इनको चार भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग 400 ml बनाया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के अनुसार प्रत्येक 400 ml नमूने में 48 बूंद Formalin मिलाना आवश्यक है। किन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने केवल 40 बूंद ही मिलाई, जो निर्धारित प्रक्रिया से गंभीर विचलन है। यह गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटि नमूने की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादीगण को एफएसएस अधिनियम की धारा 46(4) के तहत कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा प्रतिवादियों को यह सूचित नहीं किया गया कि वे नमूने को Referral Food Laboratory में पुनः परीक्षण हेतु भेजने का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार FSO,बांसवाड़ा द्वारा एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 46 (4) के प्रावधान

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

को अनदेखा करते हुए शिकायत पेश की गई है, जो इस प्रकार है – (धारा का अनुवाद....) 46(4) : "खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील नामित अधिकारी (Designated Officer) के समक्ष होगी, जो यदि वह ऐसा निर्णय लेता है, तो राय के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को मामला भेज सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "विजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" (आपराधिक अपील संख्या 1167 वर्ष 2019)" में यह निर्णय दिया कि धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस का पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होना चाहिए। डाक रसीद या प्राप्ति की अनुपस्थिति में मात्र यह कहना पर्याप्त नहीं है कि नोटिस भेजा गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय "विजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" (आपराधिक अपील संख्या 1167 वर्ष 2019) कीएक प्रति उक्त निर्णय की प्रति अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।

यह कि तत्काल शिकायत झूठी, निराधार है, और इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें रिकॉर्ड पर स्पष्ट और घातक विरोधाभास हैं, जो पूरी नमूनाकरण प्रक्रिया की अखंडता को मौलिक रूप से कमजोर करते हैं। परिवादी का अपना न्यायनिर्णयन आवेदन (adjudication application) नमूने के उत्पाद की मूल मात्रा के संबंध में आंतरिक और भौतिक रूप से विरोधाभासी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत में यह कहा गया है कि FSO ने विदित उत्पाद के "700 मिलीलीटर प्रत्येक के चार पैकेट खरीदे। हालाँकि, इसके ठीक विपरीत, शिकायत के ठीक अगले पैराग्राफ में, जो कथित नमूनाकरण प्रक्रिया काविवरण देता है, यह कहा गया है कि FSO ने "आइसक्रीम बटर स्कॉच (हैवमोर) के 4 पैकेट खरीदे, जिनमें से प्रत्येक 400 मिलीलीटर का था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह केवल एक लिपिकीय त्रुटि (clerical error) नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है जो मामले की जड़ तक जाता है। यह कार्यवाही के दौरान खाद्यसुरक्षा अधिकारी द्वारा तत्परता, देखभाल की घोर कमी और विवेक के प्रयोग नकरने को दर्शाता है। यह कि चूंकि परिवादी जब्त और नमूना लिए जा रहे उत्पाद की मात्रा की मजबूती से और लगातार पहचान करने और रिकॉर्ड करने में सक्षम नहीं है, इसलिए बाद के विश्लेषण पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह घातक विसंगति पूरी कार्यवाही को दूषित करती है और विश्लेषक की रिपोर्ट को अस्वीकार्य बनाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादीगण के खिलाफ शिकायत पोषणीय नहीं है क्योंकि FSO बांसवाड़ा द्वारा दायर शिकायत अनुचित, निराधार और कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। उत्तर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

के अधीन शिकायत में कोई योग्यता नहीं है और यह स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और इसलिए इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि विवादित उत्पाद एफएसएस अधिनियम की परिभाषा के भीतर 'अवमानक' नहीं है। इसलिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) केतहत प्रतिवादीगण के खिलाफ शिकायत, जो एफएसएस अधिनियम की धारा 51 और 66 के तहत दंडनीय है, को खारिज किया जाना चाहिए और प्रतिवादीगण के पक्ष में न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए।

अतः शिकायत झूठी और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है तथा न्याय एवं साम्य के हित में खारिज किए जाने योग्य है। अतः यह शिकायत आधारहीन, अवैध तथा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। शिकायत खारिज होने योग्य है क्योंकि परिवादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध कार्रवाई का कोई कारण (cause of action) कभी उत्पन्नही नहीं हुआ और इसलिए प्रतिवादीगण को एफएसएस अधिनियम की धारा 51के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और शिकायत को पूरी तरह से खारिज किया जाए।

दिनांक 16.03.2026 को अप्रार्थीगण सं. 3,4 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में प्रस्तुत जवाब को बहस का आधार मानते हुए निस्तारण करने निवेदन किया।

दिनांक 28.04.2026 को विभागीय पैरोकार ने उपस्थित होकर बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/248 दिनांक 30–05–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 582 दिनांक 30–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1820** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की [illegible] 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के [illegible] करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी सं. 3,4 की ओर से यह उज्र रहा है कि "FSO ने विवादित उत्पाद के 700 मिलीलीटर प्रत्येक के चार पैकेट खरीदे। इसके ठीक विपरीत,

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

शिकायत के ठीक अगले पैराग्राफ में, जो कथित नमूनाकरण प्रक्रिया में यह कहा गया है कि FSO ने "आइसक्रीम बटर स्कॉच (हैवमोर) के 4 पैकेट खरीदे, जिनमें से प्रत्येक 400 मिलीलीटर का था।" के सन्दर्भ में यह कि पत्रावली के संलग्न नमूना खरीद बिल केश मैमो व मौका फर्द अनुसार खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** के 4 पैकेट प्रत्येक में 700 **एम.एल** के वास्ते नमुना जॉच हेतु संग्रहित किये है। इस प्रकार अगले पैरेग्राफ मे दर्शाया गया "आइसक्रीम बटर स्कॉच (हैवमोर) के 4 पैकेट खरीदे, जिनमें से प्रत्येक 400 मिलीलीटर का था।" जो लिपिकीय त्रुटि है।

अप्रार्थी सं 3,4 का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 क्रमशः खुदरा विक्रेता एवं प्रतिष्ठान की स्वामिनी हैं, न कि उत्पाद के निर्माता या पैकर। विवादित उत्पाद निर्माता से सीलबंद अवस्था में खरीदा गया तथा उसी अवस्था में विक्रय किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को FSS Act की धारा 80(B)(2)(d) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 एफएसएस अधिनियम की धारा 80(B)(2)(d) के तहत सुरक्षित हैं और निर्माता द्वारा किसी भी कथित उल्लंघन के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि उत्पाद को आवश्यक शर्तों के अनुसार संग्रहीत किया गया हो। इस सन्दर्भ यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को प्रकरण में सुनवाई की सूचना होने के उपरांत भी उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

इस प्रकार अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 248 दिनांक 30–05–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 582 दिनांक 30–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1820** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **Icecream Butter scotch (Havmor)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण **श्री मनोज दोसी पुत्र श्री महेश दोसी जाति जैन निवासी डाक घर के सामने बांसवाडा, (विक्रेता), श्रीमती हर्षिता दोसी पत्नी मनोज दोसी (फर्म मालिक) मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा को रूपये 2,500/– (अक्षरे दो हजार पाँच सौ रुपया मात्र), M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad** को रूपये **15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 28–04–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:36 IST
Reason: SelfAttested